राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2389

02 जनवरी, 2019 को उत्तर के लिए

इस्पात संयंत्रों की स्थापना के कारण विस्थापित हुए लोग

2389. डा॰ विकास महात्मेः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अपने क्षेत्रों में सरकारी या निजी इस्पात संयंत्रों की स्थापना के कारण विस्थापित हुए लोगों की संख्या कितनी है, तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रभावित लोगों का समुचित पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या उपाय किए जा रहे हैं और ऐसे विस्थापित लोगों की संख्या कितनी है जिन्हें वैकल्पिक आवास की सुविधा मुहैया कराई गई है;

(ग) सरकारी योजनाओं के अंतर्गत ऐसे कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है और ऐसे लोगों को औसतन कितनी मजदूरी का भुगतान किया जाता है; और

(घ) सभी विस्थापित लोगों के लिए पुनर्वास की पर्याप्त व्यवस्था कब तक की जाएगी?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क): इस मंत्रालय के अधीन दो सार्वजनिक क्षेत्र इस्पात विनिर्माता कंपनियाँ हैं, नामतः स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)। सेल और आरआईएनएल संयंत्रों की स्थापना में चिन्हित विस्थापित परिवारों का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

इस्पात संयंत्र का नाम	राज्य	विस्थापितों की संख्या
भिलाई इस्पात संयंत्र (सेल)	छत्तीसगढ़	5684
राउरकेला इस्पात संयंत्र (सेल)	ओडिशा	4094
बोकारो इस्पात संयंत्र (सेल)	झारखंड	6019
सेलम इस्पात संयंत्र (सेल)	तमिलनाडु	3002
आरआईएनएल का विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र (आरआईएनएल-वीएसपी)	आंध्र प्रदेश	16850

इसके आगे, निजी इस्पात संयंत्र की स्थापना में कितने लोगों को विस्थापित किया गया, इसके आंकड़े मंत्रालय में नहीं होते हैं।

(ख): सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्र की स्थापना के लिए भूमि संबंधित राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिग्रहीत की जाती है। विस्थापित लोगों के पुनर्वास/मुआवजा और अन्य मामले संबंधित राज्य सरकार की भूमि एवं पुनर्वास नीतियों के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा किए जाते हैं। इसके लिए मुआवजे की अपेक्षित राशि सेल द्वारा संबंधित राज्य सरकार को जमा कर दी गई थी। आरआईएनएल-वीएसपी संयंत्र के कारण विस्थापित सभी लोगों को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा विकसित चार पुनर्वास कॉलोनियों को पुनर्वासित कर दिया गया है। इन कॉलोनियों में पेय जल, सड़क, स्ट्रीट लाईट्स, स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक केन्द्र आदि सुविधाएं हैं।

(ग) और (घ): सेल और आरआईएनएल में विस्थापित लोगों को रोजगार इस विषय में डीपीई दिशा-निर्देशों और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के निबंधनों के तहत दिया जाता है। विस्थापित श्रेणी में दिए गए रोजगारों की संख्या का संयंत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

इस्पात संयंत्र का नाम	**विस्थापित श्रेणी में दिए गए रोजगार**
भिलाई इस्पात संयंत्र (सेल)	4468
राउरकेला इस्पात संयंत्र (सेल)	6486
बोकारो इस्पात संयंत्र (सेल)	16000 (लगभग)
सेलम इस्पात संयंत्र (सेल)	214
आरआईएनएल का विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र (आरआईएनएल-वीएसपी)	5000 की वचनबद्धता की तुलना में 7845

श्रेणियों के लिए निर्धारित वेतनमान में नियमित श्रेणियों पर रोजगार दिए गए हैं और वेतन का भुगतान कंपनी नियमों के अनुसार किया जाता है।

*****